

36/H.P/2019/A.R.D.
D.Khanna
S.4.14
(3.P.M.)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(प्ररूप 2 क)
(नियम 4 के अन्तर्गत)
नामनिर्देशन

लोकसभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दे
भाग 1
(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अन्यर्धी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए _____ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अन्यर्धी के रूप में
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ _____
अन्यर्धी का नाम _____ पिता/माता/पति का नाम _____
उसका डाक पता _____ उराका _____
नाम _____ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक
नामावली के भाग सं० _____ में क्रम सं० _____ पर
प्रविष्ट है।
मरा नाम _____ है जो _____ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)
की निर्वाचक नामावली के भाग सं० _____ में क्रम सं० _____ पर प्रविष्ट है।
तारीख _____
(आयु नही)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अन्यर्धी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए _____ प्रार्थियों
को अन्यर्धी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं। _____ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित

अन्यर्धी का नाम _____ सुदीप राय
पिता/माता/पति का नाम _____ स्व. उद्धम नाथ राय
उसका डाक पता _____ शिवाही मोला, प्रार्थियों, पो. मधुवनी (प्रार्थियों)
धाना - कै.राठ, जिला - प्रार्थियों

उसका नाम 62, खर्जियाँ

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र * (में सम्मिलित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग 26

संख्यांक 684 में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम लोकसभा सभा के निर्वाचक ससदाय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जोड़े कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने मतदान करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टता और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	निर्वाचक नामावली का	उस भाग में क्रम सं०	पूर्व नाम	तारिख
	घटक का नाम	भाग संख्यांक			

1

2

3

1.	62 खर्जियाँ विधान सभा	15	194	अनन्त मिश्रा	अनन्त मिश्रा 05/04/14
2.	62 खर्जियाँ विधान सभा	15	433	वेद प्रकाश श्रीवास्तव	वेद प्रकाश श्रीवास्तव
3.	62 खर्जियाँ विधान सभा	15	299	विजय कुमार	Vijay Kumar 05/04/14
4.	62 खर्जियाँ विधान सभा	15	221	राजेश कुमार	Rajesh Kumar Jha 05/04/14
5.	62 खर्जियाँ विधान सभा	15	507	कुलदेव मिश्रा	कुलदेव मिश्रा 05-04-14
6.	62 खर्जियाँ विधान सभा	16	698	अकिश कुंज	अकिश कुंज 05/04/14
7.	62 खर्जियाँ विधान सभा	26	609	पंचानन्द मिश्रा	पंचानन्द मिश्रा
8.	61 धमड़ा विधान सभा	17	1235	संतोष कुमार	संतोष कुमार 05/04/2014
9.	61 धमड़ा विधान सभा	224	741	सुनील कुमार	सुनील कुमार 05/04/14
10.	61 धमड़ा विधान सभा	224	459	पंकज मिश्रा	पंकज मिश्रा 05/04/14

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में
में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र * शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इसे पैरा को काट दीजिए।

***यदि न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में
लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें— "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबटन) आदेश,
1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी उपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है, या

हां/नहीं

अधिसूचना सं० का० आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के
कारावास से दंडित किया गया है।

नहीं

यदि उत्तर 'हां' में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

लागू नहीं

संख्यांक

(ii) पुलिस थाना

लागू नहीं

(थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।

लागू नहीं

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें

लागू नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था।

लागू नहीं

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

लागू नहीं

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... लागू नहीं

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं लागू नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ..... लागू नहीं

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (वे) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... लागू नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है..... लागू नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें)..... लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... लागू नहीं

स्थान : सर्जिपॉ

तारीख: 5.4.2014


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 36

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 05.04.14 (तारीख) को 03:00 PM (बजे) * अभ्यर्थी/प्रश्नकर्ता द्वारा
परिदत्त किया गया।

तारीख 05.04.14

M. K. Singh
5.4.14
सहायक निर्वाचक सदाधिकासी
12-पूर्णिमा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं
निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख _____

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण) _____

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए



“प्ररूप 26”
(नियम 4क देखिए)



No. 2425/2017

शरिणाँ संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
भाग-क

में सुदीप राय **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. उदय नाथ राय
आयु 50 वर्ष वर्ष, जो सिपाही टोला, शरिणाँ, पो. मधुवती (शरिणाँ)
पाना- के. डार जिला- शरिणाँ

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं अगम आदमी पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

(2) मेरा नाम 62, शरिणाँ विधान सभा, (किरार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 684 के क्रम सं 684 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9835236565 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) purnea@g.mails.com

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :



सुदीप राय



GOV. OF BIHAR
Purnea Court, Purnea
COURT FEE
Authentication No. 2018
SMASHI KANT
Advocate
Purnea, Bihar (India)
NOTARY PUBLIC
374 76
BIHAR JUDICIAL
8782300 8658

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उल्लिखित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AGIPR 6691N	2012-13	2,88,150.00
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नहीं



यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(क) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की निरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

Shashi Kant Jha

(ii) निम्नलिखित मामला (मामलों) में विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(पूर्वोक्त) लागू नहीं

मदद (i) में वर्णित मामलों से निम्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायालय द्वारा वि. कोरी प्रविष्टि क्र. आ. नं. 143/94 संज्ञान दिनांक 11/11/94
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	क्र. आ. नं. 143/94 अन्तर्गत धारा 85(1-A) एवं 26 अधिनियम (क्र. 13) में दिनांक 7.2.2014 को दोष मुक्त किया गया
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यारे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निम्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है: लागू नहीं



यदि अधिज्ञाही उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यारे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोधित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं

Sudhanshu

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे :

टिप्पण 1 - संयुक्त त्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार दरों के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।



यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन निर्धारित है।

टिप्पण 4 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3	
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 5,000/- ₹ 10,000/- ₹ 20,000/- ₹ 30,000/- ₹ 40,000/- ₹ 50,000/- ₹ 60,000/- ₹ 70,000/- ₹ 80,000/- ₹ 90,000/- ₹ 1,00,000/- ₹ 1,10,000/- ₹ 1,20,000/- ₹ 1,30,000/- ₹ 1,40,000/- ₹ 1,50,000/- ₹ 1,60,000/- ₹ 1,70,000/- ₹ 1,80,000/- ₹ 1,90,000/- ₹ 2,00,000/- ₹ 2,10,000/- ₹ 2,20,000/- ₹ 2,30,000/- ₹ 2,40,000/- ₹ 2,50,000/- ₹ 2,60,000/- ₹ 2,70,000/- ₹ 2,80,000/- ₹ 2,90,000/- ₹ 3,00,000/- ₹ 3,10,000/- ₹ 3,20,000/- ₹ 3,30,000/- ₹ 3,40,000/- ₹ 3,50,000/- ₹ 3,60,000/- ₹ 3,70,000/- ₹ 3,80,000/- ₹ 3,90,000/- ₹ 4,00,000/- ₹ 4,10,000/- ₹ 4,20,000/- ₹ 4,30,000/- ₹ 4,40,000/- ₹ 4,50,000/- ₹ 4,60,000/- ₹ 4,70,000/- ₹ 4,80,000/- ₹ 4,90,000/- ₹ 5,00,000/- ₹ 5,10,000/- ₹ 5,20,000/- ₹ 5,30,000/- ₹ 5,40,000/- ₹ 5,50,000/- ₹ 5,60,000/- ₹ 5,70,000/- ₹ 5,80,000/- ₹ 5,90,000/- ₹ 6,00,000/- ₹ 6,10,000/- ₹ 6,20,000/- ₹ 6,30,000/- ₹ 6,40,000/- ₹ 6,50,000/- ₹ 6,60,000/- ₹ 6,70,000/- ₹ 6,80,000/- ₹ 6,90,000/- ₹ 7,00,000/- ₹ 7,10,000/- ₹ 7,20,000/- ₹ 7,30,000/- ₹ 7,40,000/- ₹ 7,50,000/- ₹ 7,60,000/- ₹ 7,70,000/- ₹ 7,80,000/- ₹ 7,90,000/- ₹ 8,00,000/- ₹ 8,10,000/- ₹ 8,20,000/- ₹ 8,30,000/- ₹ 8,40,000/- ₹ 8,50,000/- ₹ 8,60,000/- ₹ 8,70,000/- ₹ 8,80,000/- ₹ 8,90,000/- ₹ 9,00,000/- ₹ 9,10,000/- ₹ 9,20,000/- ₹ 9,30,000/- ₹ 9,40,000/- ₹ 9,50,000/- ₹ 9,60,000/- ₹ 9,70,000/- ₹ 9,80,000/- ₹ 9,90,000/- ₹ 10,00,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	

Sudhansu

	विनिधान	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	20,000,000/-	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	कार्ड नं. 5 धारा 492 (सेवा नं. 429 क. 1, 2, 3, 4)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	10,932 वर्ग फुट	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	5.02.1999	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	20,000,000/-	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध मकान	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2,00,000,000/-	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
(iv)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही

Advocate
S. SHASHI KANT JHA
CUM
NOTARY
P.L. 3/20
Purba, B.

S. Shivan

	क्रय की तारीख	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
	क्रय के समय अग्रि की लागत (क्रय की दशा में)	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
	अनुमानित चाल बाजार मूल्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2,20,000,000	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र. विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i) बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निकाय के ऋण या शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
कोई अन्य दायित्व	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
दायित्वों का कुल योग	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
(ii) सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं
आय-कर शोध्य	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं	लाख नहीं

(Signature)

	धनकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



श्री. शशि कान्त सिंघ के ब्यारे :-
 उपाधिवक्ता
 पति, श्री पत्नी श्रीश्री
 निचे दिये अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारा दें)

1. मैट्रिक विहार विद्यालय परीक्षा समिति परवा 1979
2. उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दरभंगा 1981
3. उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दरभंगा 1984
4. एम.बी.ए. मगध विश्वविद्यालय बोधगंगा 1987
5. एम.बी.ए. एम.बी.ए. एम.बी.ए. मगध विश्वविद्यालय बोधगंगा 1993

Shashi Kant Singh


भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कुं सुदीप राय				
2	डाक का पता	विपार्टी रोला, खरिपाँ				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	को-सुपुवनी (खरिपाँ), पंजा-केरल खिला- खरिपाँ				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	18, खरिपाँ लोक सभा, बिहार आम आदमी पार्टी				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विराचित किए गए हैं।	लागू नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)	09 के उक्त ब्यौरे का सं. 31/94 अं-आर- 143/94 अं-आर-आर 25(1-A) एच 28 अं-आर- एच, कुल न्यायिक प्रणाली, खरिपाँ दिनांक- 11/11/94 दिनांक- 4/2/14 को दोष मुक्त किया गया				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्ध दोष ठहराया गया कि दोष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं				
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	AG/PR/66/11/11	2012-13	2,98,150/-		
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1931655/-	10,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियां	92/कड 10 12 कड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सुराम

I.	स्वयंनिर्मित अथवा संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 20,000,000/-	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 2,00,000,000/-	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 40,000,000/-	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	दायित्व	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	सरकारी ऋण (कुल)	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	बैंक, वित्तीय संस्थानों और अन्य से ऋण (कुल)	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विदादाधीन हैं	नहीं				



(i)	सरकारी शोध (कुल)	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थानों और अन्य से ऋण (कुल)	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं

11 उच्चतम शैक्षिक अर्हता :
 एम.बी.ए. एम.एस. विश्व विद्यालय कोलकाता - 1987
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारे दें।)

Shashi Kant Jha

सत्यापन

मैं सच उल्लिखित अधिसूची दूंगे राज गद सत्यापन और भोषण करता है कि दूरा शासक की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-



(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

सत्यापन तारीख 5.4.2014 को सत्यापित किया गया।

I identified by Satendra Kumar Advocate En. No. 4756/95 05/04/14

Handwritten signature and date 5.4.14

S K JHA

Shashi Kant Jha ADVOCATE NOTARY OFFICER Purnea, Bihar, India

अभिसाक्षी

Notary Public authorised under notary act and U/R 214 of the code of civil procedure and 297(C) of criminal procedure.

शपथपत्र फाइल करने के अंतिम दिन को 500 बजे अघराह तक फाइल किया जाना चाहिए। शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्यायें है/ हैं 9835236565

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है Sudeep.roy.purnea@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है